सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–2025 / 142 दर्ज तिथिः–22.04.2025

1. नवलाराम पुत्र पाबूराम
   जाति जाट निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी।

..................प्रार्थी

बनाम

1. करनाराम पुत्र बीजलाराम
2. जोगाराम पुत्र बीजलाराम
3. पनाराम पुत्र बीजलाराम
4. मीरा पत्नी बीजलाराम
5. वीरा पुत्र मोती जाति रबारी निवासी पालियाली
6. मोडाराम पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी पालियाली तहसील गुड़ामालानी

.... अप्रार्थीगण

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.... तकमिली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः–श्री प्रागाराम बोगराज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–27.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 49 / 6.7178 है0, 50 / 7.5433 है0 मौजा पालियाली पटवार मण्डल गांधव कला तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 20.10.2020 की पालना में दिनांक 24.10.2020 को पटवारी हल्का गांधव कला द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 49 / 6.7178 है0, 50 / 7.5433 है0 मौजा पालियाली पटवार मण्डल गांधव कला तहसील गुड़ामालानी की पत्थरगढ़ी दिनांक 24.10.2020 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व 5 असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व 5 द्वारा जवाब एवं आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की आराजी के खेतो के मध्य करीब 50—60 वर्षो से पुरानी माठ बनी हुई जिसमें बड़े—बड़े पेड़ है। जिसको प्रार्थीगण द्वारा रात्रि में जेसीबी से बड़े—बड़े पेड़ गिरा दिए जिसकी विप्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। प्रार्थीगण अपनी आराजी की तरमीम राजस्व कार्मिकों से मिलकर गलत करवाई जा कर विप्रार्थीगण की जमीन पर अवैध कब्जा करने एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया जाने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 24.10.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अधिवक्ता विप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्राथीगण के खेतों के मध्य 50—60 वर्षों से पुरानी माठ है। जिसमें बड़े—बड़े पौधे है जिसको प्रार्थी द्वारा तोड़ दिये गये है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी की गलत तरमीम करवाकर विप्रार्थीगण की आराजी पर अवैध कब्जा करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 ग्राम पालियाली में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक दिनांक 24.10.2020 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested

लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 49/6.7178 है0, 50/7.5433 है0 मौजा पालियाली पटवार मण्डल गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में प्रार्थी की खातेदारी आराजी का मुस्तकिल बिन्दुओं से सीमाज्ञान करते हुए बिना कब्जा बेदखली कर केवल पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:00:33 IST
Reason: SelfAttested